


राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 27 (41) ग्राविवि/अनु-5/जीकेएन/क्यू.सी./ 2015-16 जयपुर, दि० अगस्त, 2017

1. तृतीय पक्ष निरीक्षण कर्ता/एजेन्सी
पंजीकृत अभियंता/स्वयंसेवी संस्था (संलग्न सूची अनुसार),
2. राजकीय/निजी तकनीकी महाविद्यालय, राजस्थान के प्रतिनिधि।
3. राजकीय जिला तकनीकी पोलोटेक्नीकल महाविद्यालय, समस्त राजस्थान प्रतिनिधि।


विषय :- तृतीय पक्ष निरीक्षण के संबंध में बैठक आयोजित करने के सम्बंध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शासन सचिव, ग्रामीण विकास की अध्यक्षता में आवासीय योजना एवं ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग द्वारा सम्पादित निर्माण कार्य/आवासों की तृतीय पक्ष द्वारा निरीक्षण जाँच कराने हेतु विभागीय संमसख्यक पत्र दिनांक 20.09.2016 द्वारा पंजीकृत संस्थाओं, राजकीय/निजी तकनीकी पोलोटेकनिक महाविद्यालय के प्रतिनिधियों की दिनांक 08.08.2017 को उत्तर पश्चिम भवन, सचिवालय जयपुर के समिति कक्ष में दोपहर बाद 04:30 बजे बैठक आयोजित की जावेगी, जिसमें आप या आपके प्रतिनिधि का उपस्थित होना सुनिश्चित करावें।


(के.के.शर्मा) 11/8/17
अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, जयपुर।
5. अधीक्षण अभियन्ता (प्रो.) ईजीएस/एसएपी/अभियांत्रिकी ग्रामीण विकास विभाग।
6. तृतीय पक्ष निरीक्षण कर्ता/एजेन्सी पंजीकृत अभियन्ता/स्वयंसेवी संस्था
7. सहायक प्रोग्रामर ग्रामीण विकास के विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।


अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि